भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु जनपद–शाहजहाँपुर में गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 02.11.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमागि गंगे जलपूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वन तथा मूल्याकंन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 02.11.2022 को कलेक्टेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

		अध्यक्ष
1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	उपाध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी, शाहजहाँपुर	सदस्य
5	परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर।	सदस्य
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहाँपुर	सदस्य
7	बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
8	अधिशासी अभियंता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
9	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
10	जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
11	अधिशासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य सचिव
12	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	

1. सदस्य सचिव अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतों (2033 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किए गये निर्देशो के अनुपालन मे प्राकलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे ली गयी कार्यो की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।
2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 466 नग डी0पी0आर0 (496 ग्राम पंचायत) अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 385 नग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी कम में आज बैठक में पुनः 38 नग डी0पी0आर0 (63 ग्राम पंचायत, 139 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 38 नग डी0पी0आर0 का तकनीकी परीक्षण किया गया एंव यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय., उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

1. योजनाओ की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रू से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत मे अंकित औसत से स्पष्ट है।

2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रू 7000 से अधिक है, उन योजनाओ का स्थालीय परिक्षण करा लिया गया है एंव समस्त प्रस्ताव का मूल्याकंन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग प्लांट की डिजाइन मे हैड अधिकतम 50 मी0 के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी0वी0 माड्यूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन 5 परियोजनाओं मे रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियताओं (उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एंव राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन) शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है एंव प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एंव आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली मे सैंड बेडिंग का प्रविधान नही किया गया है।
9. जलकल परिसर मे सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नही है। जिस ग्राम पंचायत मे जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है एंव मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एंव इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नही किया गया है।
11. योजनओ की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमे किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नही हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओ की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार गुणवत्त सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओ मे प्रस्ताव का परीक्षण मौंके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एंव इन कार्यो के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उददेश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

उक्त कम मे ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल अपूर्ति हेतु 38 नग डी0पी0आर0 जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश संख्या–51/2021/1948/छियत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन मे कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राकलनों को नियमानुसार रू 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओ की स्वीकृति "जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन" समिति द्वारा प्रदान की जानी है।

उक्त क्रम में बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अन्य निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये–

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा आई0एस0ए0 एजेन्सी को निर्देशित किया गया है कि वह प्रस्तुत डी0पी0आर0 के सहमति पत्र 30 दिनो के अन्दर जल निगम कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल निगम को निर्देशित किया गया है कि जो भी क्लस्टर अवशेष बचे हुये है उनका आवंटन जल्द से जल्द करवाये।
3. आई0एस0ए0 एजेन्सी को अपने समस्त स्टाफ से सम्बन्धित दस्तावेज (खाता सं0, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि) जल निगम के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित कराना।
4. जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि मै0 एन0सी0सी0 द्वारा कराये जा रहे कार्यो में कार्यस्थल पर तैनात स्टाफ/श्रमिकों की समीक्षा जिला कृषि अधिकारी द्वारा गूगल शीट के माध्यम से रोजाना की जाए।
5. मै0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया है कि जो भी विलय (Merged) डी0पी0आर0 बनायी गयी हो उनमे दो से अधिक ग्राम पंचायत सम्मिलित नही होने चाहियें जिससे कि भविष्य मे रख रखाव में कोई भी परेशानी न हो।
6. सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि अधिशासी अभियन्ता (नगर) से रेन्डम आधार पर चयनित डी0पी0आर0 की जांच करवाकर जल्द से जल्द समिति को प्रस्तुत करें। उक्त DPR को DWSM से स्वीकृत मानकर विचारार्थ प्रस्तुत करें।

7. डी0पी0आर0 की पत्रावलियों ~~में हस्ताक्षर~~ की प्रोसेसिंग हेतु सहायक अभियन्ता (श्री दर्शनलाल) को सहा० नोडल बनाया गया। नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता प्रभारी रहेंगे।
8. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 एन0सी0सी0 को डी0पी0आर0, सड़क पुर्नस्थापना, एफ0एच0टी0सी0 फीडिंग बढ़ाने और स्टाफ की संख्या बढाने हेतु नोटिस देने के लिये निर्देशित किया गया है।
9. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0एन0सी0सी0 को गृह जल सयोजन की प्रगति बढाने के लिये कंट्रोल रूम बनाने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे कि गृह संयोजन की प्रगति जिलाधिकारी महोदय सीधा प्रसारण देख सके। तथा मै0एन0सी0सी0 लि0 को अपने स्टाफ की कार्य स्थल पर अनुश्रवण करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
10. अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर द्वारा एन0सी0सी0 को कार्यो की प्रगति बढाने हेतु स्टाफ, श्रमिको की संख्या बढाने हेतु निर्देशित किये गया।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 38 नग डी0पी0आर0 (63 ग्राम पंचायत, 139 राजस्व ग्राम) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)
अष्ठम खण्ड, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य
जिला कृषि अधिकारी
शाहजहाँपुर

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

प्रभागीय वनाधिकारी
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर सदस्य।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
शाहजहाँपुर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
शाहजहाँपुर सदस्य।

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
उपाध्यक्ष

जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।